कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

File No. CAIU/011(601)/RTI/2024/1894

Dated: 21 JUN 202

Applicant (For Information)

Shri Kaushal Kumar Valmiki
482, Valmikipuri, Iradatnagar
Dauliganj – Lucknow.

CPIO (Providing Information)

Regional P F Commissisoner-II (CAIU)
Employees Provident Fund Organisation
(Head Office), Plate-A, Grd ounFloor, Block-II,
Kidwai Nagar, New Delhi-110023.

SUB: Supply of Information under RTI Act, 2005 to Sh. Kaushal Kumar Valmiki – Reg.

With reference to the application dated 20.02.2024 submitted by the applicant under RTI Act, 2005 on the subject cited above, the information is furnished as under:

Information Sought	Reply
निवेदन यह है कि भारत सरकार के सभी प्रदेशों की सरकारें केन्द्र शासित सहित यह सभी 08 मार्च 2011 के गजट का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी ठेकेदारी कर्मचारियों का ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० की कटौती हो रही है या नहीं।	The information pertains to all the Regional Offices. Hence, the same is being transferred under 6 (3) of the Act to CPIO of all Regional Offices for providing information directly to the applicant.

In case, the applicant is not satisfied with the information provided as above, he may appeal to the First Appellate Authority i.e.:

Shri Abhay Mandal, Regional Provident Fund Commissioner-I (CAIU),
Employees Provident Fund Organisation,
(Head Office), Plate-A, Grd ounFloor, Block-II,
Kidwai Nagar, New Delhi-110023.

(Dr. Rajiv Nayan)
CPIO/Regional P.F. Commissioner-II(CAIU)

Copy to;
1 CPIO/RPFC-I, of all the Regional Offices, is requested to provide the information to the applicant directly.

No. S-42015/1/2020-SS-II(Pt.II)
Government of India
Ministry of Labour and Employment
******

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated the 24 April, 2024

To
Shri Kaushal Kumar Valmiki,
482, Valmikipuri, Iradatnagar,
Dauliganj, Lucknow.

Sub: Information under Right To Information (RTI) Act, 2005-regarding.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 13.02.2024 received through RTI and Legal Cell vide letter No. Z-20025/01/2024/RTI & Legal Cell–April-04 dated 10.04.2024 on the subject cited above. The instant RTI dated 13.02.2024 is transferred to EPFO under section 6(3) of the RTI Act, 2005 for providing information directly to the Applicant under intimation to this Ministry.

2. It is also mentioned that the First Appeal, if any, against the reply may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO.

3. Sh. Chaman Lal Guleria, Deputy Secretary, Room No. 303, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, in the Ministry is the 1st Appellate Authority under Section 19 of the RTI Act, 2005.

Yours faithfully

(Sudesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23473323

Copy to:-

1. The CPIO, Employees Provident Fund Commissioner, Bhavishya Nidhi Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi. A copy of RTI of Shri Kaushal Kumar Valmiki dated 13.02.2024 is being transferred under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 with request to supply requisite information to the applicant within the prescribed time limit under intimation to this Ministry. The name of the Appellate Authority may also be indicated.
2. The Nodal Office, RTI Cell, M/o L&E for information please.

ACC(HQ)RTI

1979992/2024/CPFC

E-790903-8821
22/04/2024

No.Z-20025/01/2024/आरटीआई व लीगल सेल- अप्रैल -04

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक 10/04/2024

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री कौशल कुमार वाल्मीकि के (दिनांक 13/2/2024 का पत्र (जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से उनके दिनांक 28/2/2024 के पत्र के साथ प्राप्त हुआ)। इस पत्र की एक प्रति आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित की जाती है। इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जानी है। प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन शुल्क अर्थात रुपये__________ जमा करा दिए हैं।

2. सूचना प्रदान करते समय, कृपया ध्यान दिया जाए कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना फा.सं34001/8(एस) 2005-स्थापन (बी) के जो प्रशा.III द्वारा उनके पत्र सं. जैड01015/1/2005. प्रशास-IIIके द्वारा परिचलित की गई है, अनुसार अपेक्षित शुल्क लिया जाना है।

3. यदि वांछित सूचना का संबंध संबंधित प्रभाग से न हो अथवा सूचना का कुछ भाग अन्य प्रभाग अथवा लोक प्राधिकरण के पास हो तो संबंधित सीपीआईओ, आवेदन या उसके ऐसे किसी भाग को जो उपयुक्त हो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5(4) तथा 6(3) के अंतर्गत संबद्ध प्रभाग/लोक प्राधिकारणों को अग्रेषित/अंतरित करें तथा आवेदक को ऐसे अंतरण के बारे में तुरंत सूचित करें। हालांकि, संबंधित प्रभाग/लोक प्राधिकरण का पता लगाने के उचित प्रयास के बावजूद यदि सीपीआईओ यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि कौन सा प्रभाग/ लोक प्राधिकरण सूचना से संबंधित है, तो उसे संबंधित प्रभाग/लोक प्राधिकरण के विवरणों को सूचित करना चाहिए जिसे आवेदन स्थानांतरण किया जा सके। हालांकि, यदि उसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील की जाती है, तो यह सिद्ध करना सीपीआईओ की जिम्मेवारी होगी कि उसने संबंधित प्रभाग/ लोक प्राधिकरण के विवरणों का पता लगाने के लिए उचित प्रयास किए थे।

4. यदि सूचना का कुछ भाग किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो, सीपीआईओ जो आवेदन प्राप्त कर रहा है उसे आवेदक को सूचित करना चाहिए कि सूचना संबंधित राज़्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे मामले में आवेदन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. उत्तर में अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित किया जाए ताकि आवेदक यदि निर्णय से असंतुष्ट हो तो ऐसी अवधि की समाप्ति अथवा लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपील कर सके।

(एए. के. सिंह)

उप-सचिव/ नोडल अधिकारी(आरटीआई सेल)

1. पुस्स / सीपीआईओ / SS-I
2. पुस्स / सीपीआईओ / SS-II
3. नोडल अधिकारी (RTI) DGLW

प्रतिलिपि:-

श्री कौशल कुमार वाल्मीकि, 482/ ख, वाल्मीकिपुरी, इरादतनगर डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226020

15/4 SO/SS-II 16/4 ASO(RB)

आर-11025/01/2022-एलएसजी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

एलएसजी अनुभाग

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 28 फरवरी, 2024

सेवा में,

श्री कौशल कुमार वाल्मीकि
482/ख, वाल्मीकिपुरी, इरादतनगर,
डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया आप अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 13.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत आपके दवारा भारत सरकार के गज़ट दिनांक 08.03.2011 का सभी राज्योंकेंद्रशासित प्रदेशो दवारा अनुपालन / एवं शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों का ईव .एफ.पी. की कटौती .आई.एस.ई से संबंधित बिन्दु पर सूचना मांगी है ।

2. इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अपेक्षित सूचना सीपीआईओ के पास उपलब्ध नहीं है, अतः मांगी गयी सूचना निरंक (निल) समझी जाए। चूँकि शहरी स्थानीय निकाय सम्बंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः डीओपीटी के ओएम संख्या 10/02/2008-आईआर दिनांक 12.06.2008 के पैरा 3 (iv) के अनुसार, आपको यह सलाह दी जाती है कि आप सम्बंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत एक अलग आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

3. हालांकि, आवेदक दवारा मांगी गयी सूचना इस मंत्रालय के सम्बंधित सीपीआईओ के पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी आपके आरटीआई आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, सीधे आपको प्रदान करने हेतु स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

4. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत, निम्न पते पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को इस पत्र के जारी होने के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैः

श्रीमती रजनी तनेजा,
निदेशक (एलएसजी) एवं अपीलीय प्राधिकारी,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

भवदीय

संजय कुमार

(संजय कुमार)

अवर सचिव (एलएसजी) एवं सीपीआईओ

दूरभाष: 011-23061072

प्रति प्रेषित, अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, सीधे आवेदक को प्रदान करने हेतु :

1. अवर सचिव(आरटीआई सेल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11
2. अवर सचिव(आरटीआई सेल), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-01

D/No. 85/RTI & Legal Cell/24
8/4/24

SS.I
SS.II
DGLW

1/3/24

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी,

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,

नई दिल्ली ।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि भारत सरकार के सभी प्रदेशों की सरकारें केन्द्र शासित सहित यह सभी 08 मार्च 2011 के गजट का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी ठेकेदारी कर्मचारियों का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 की कटौती हो रही है या नहीं।

अतः आपसे अनुरोध है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वांछित सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करें। सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क रु0 10/- का पोस्टल आर्डर नं0 50F 017209 दिनांक 13/2/24 मूलरूप में संलग्न है।

धन्यवाद।

प्रार्थी

दिनांक : 13/2/2024

(कौशल कुमार बाल्मीकि)

482ख, बाल्मीकिपुरी, इरादतनगर,

डालीगंज, लखनऊ।

मो0: 9415085644

PIC

संलग्नक : रु0 10/- का पोस्टल आर्डर मूलरूप में संलग्न है।